"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2004—चैत्र 27, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री भानुप्रताप सिंह नेताम, भा.प्र.से. संचालक, लोक शिक्षण, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग को पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2004

क्रमांक 783/491/2004/2/लीव.—श्री सी. के. खेतान, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 29-3-2004 से 2-4-2004 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28 मार्च एवं 3 तथा 4-4-2004 तक का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2004

क्रमांक 791/302/2004/साप्रवि/1/2/लीव.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2563/1956/2003/1/2/लीव, दिनांक 12-12-2003 द्वारा डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद, संचालक, कृषि को दिनांक 22-12-2003 से 16-1-2004 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2004

फा. क्रमांक डी/1769/665/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श उपरांत श्री रवीश चन्द्र अग्रवाल, महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 17th March 2004

F. No. D/1769/665/21-B/C.G./2004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Ravish Chandra Agrawal, Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 222/वा-1/अविअ/भू-अर्जन 04/अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	नागलदेही	28.61	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय के डूबान एवं पार हेतु.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 220/वा-1/अविअ/भू-अर्जन 05/अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	धूपकोट	30.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय के डूबान हेतु.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 221/वा-1/अविअ/भू-अर्जन 06/अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	सुकलीभांठा	24.47	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना डूबान पार एवं ऊलट.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 25 फरवरी 2004

क्रमांक 89/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	धरमपुर प. ह. नं. 116	3.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	धरमपुर जलाशय योजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 46/अ-82/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	डडगांव प. ह. नं. 15	6.139	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	डडगांव तालाब नहर कार्य चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 47/अ-82/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	खरसोता प. ह. नं. 15	3.027	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	डडगांव तालाब योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 100 एवं शाखा नहर क्र. 1 एवं 2 का नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बडेडोंगर	2.223	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव.	बडेडोंगर जलाशय क्रमांक-2 नाबार्ड योजना के अंतर्गत भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 08/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जतरी प. ह. नं. 28	3.082	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ.	कोतमरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 09/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सराईपाली प.. ह. नं. 17	6.896	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ.	सराईपाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 10/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अमलीपाली प. ह. नं. 38	0.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ.	सरवानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 11/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनहर प. ह. नं. 3	0.162	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	धनागर भूपदेवपुर मार्ग के कि.मी. 7/8 पर ढोलवा नाला सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 12/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नन्देली प. ह. नं. 37	4.723	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 13/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतमरा प. ह. नं. 38	3.306	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	कोतमरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 14/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतासुरा प. ह. नं. 36	0.567	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 15/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतमरा प. ह. नं. 38	1.347	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	सरवानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 मार्च 2004

संशोधित

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 07/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बसनाझर	0.153	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झोरझोरा डीपा जलाशय बांध हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 8 अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) संशोधित अधिनियम, सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	रूमगा	12.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 11 अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) संशोधित अधिनियम, सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	मटियाडांड़	6.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 7/A 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बचरवार	67.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	बगड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2004

क्रमांक 8 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	37.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	गांगपुर जलाशय डूब क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2004

क्रमांक 9 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	20.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2004

क्रमांक 10 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पंडरीपानी	19.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	चनाडोंगरी जलाशय डूब, स्पील एवं नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2004

प्रकरण क्रमांक 1/A 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	0.081	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) पेण्ड्रा संभाग पेन्ड्रारोड.	सड़क पहुंच मार्ग बेलगहना बहेरामुडा.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2004

प्रकरण क्रमांक 11/A 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सेखवा	18.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक /2/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बीजापुर	फरसेगढ़	49.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	सार्वजनिक प्रयोजन एवं क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु जल प्रदाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 जनवरी 2004

क्रमांक 43/भू-अर्जन/अ.वि.अ./अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-गुलझर, प. ह. नं. 110
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	14	0.38
	13/3	0.08
	13/24	0.35
	13/23	0.43
	13/15	0.07
योग	5	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटरीपानी जलाशय क्र. 1 के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 130/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-खैरपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.169 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	373/2	0.109
	308/1	0.024
	308/3	0.036
योग	3	0.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-नवापारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.886 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	234/2 क	0.210
	253/1	
	254/1	
	255/1	
	256/1	0.032
	230	0.012
	231	0.020
	52/12	0.081
	56	0.146
	40/7	0.040
	40/6	0.040
	40/9	0.040
	40/10	0.036
	40/11	0.036
	63/2	0.028
	75/2	0.028
	63/1	0.036
	75/3	0.004
	75/1	0.020
	77	0.077
योग	17	0.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पनझर, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.793 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/2	0.081
33/2	0.174
35/1	0.182
36/2	0.053
37/1	0.089
37/4	0.004
37/3	0.051
37/5	0.008
38	0.008
39/1क, 40/6	0.073
39/3	0.49
39/4	0.004
46	0.53
65/2	0.032
65/3	0.146
65/4	0.032
65/6	0.73
68	0.36
69	0.024
76/1	0.049
76/2	0.024
81/2	0.045
87	0.036
82/2	0.032
84/4	0.012
85/2	0.032
85/2	0.032
84/3	0.045
88/1 क	0.012
120/1 ख/1	0.065
120/2 च/1	0.073
योग 35	1.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रानीगुड़ा माइनर के सबमाइनर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरदापुटी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9	0.06
11/1	0.20
11/2	0.12
11/3	0.12
योग 4	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर कांदाहरदी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुलबा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1451	0.024
1452/1	0.020
1456	0.032
1459	0.032
1460	0.028
1463	0.061
1465	0.053
योग 7	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर बिलाईगढ़ माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.53 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
187/1, 187/2, 188/1	0.35
196	0.02
188	0.03
193/2, 193/4	0.05
193/3	0.07
194	0.01
195	0.12
201/1	0.14
206/1 क, 206/1 ख	0.05
177/250	0.08
197/1	0.01
201/3	0.11
202	0.10
206/2	0.01
208/5	0.06
201/2	0.03
203	0.06
योग 15	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर बसंतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
83	0.09
योग 1	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर बसंतपुर माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सहसपुरी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
362/1 त्र	0.10
362/1 ट	0.10
362/1 ठ/1	0.29
362/ 1 ठ/2	0.29
362/1 ड	0.22
362/1 ढ	0.13
362/1 ण	0.10
375/1	0.08
376/1	0.01
377/1	0.12
377/3	0.12
378/2	0.01
381	0.017
382	0.06
383/1	0.15
383/2, 383/3 क	0.12
383/2, 383/3 ख	0.02
428/1	0.13
428/2	0.18
432/2	0.06
432/3 क	0.03
381/549	0.012
योग 22	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर सहसपुरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसकें द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बायंग, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.373 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
986/1 ग	0.036
986/1 घ	0.016
986/1 च	0.020
986/1 ज	0.012
986/1 द	0.040
986/1 ण	0.040
988/2	0.032
988/4	0.016
988/5 क	0.008
988/5 ख	0.008
989/1	0.032
988/6	0.032
989/2	0.049
988/7	0.032
योग 14	0.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उप-शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चन्द्रशेखरपुर, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149/1	0.482
269/16	0.100
152/1 क	0.324
148/1 ग	0.049
107/12	0.016
107/15	0.020
107/18	0.016
107/21	0.016
107/24	0.016
107/27	0.016
107/30	0.016
107/34	0.012
158	0.397
146/4	0.283
148/1 क	0.025
107/10	0.016
107/13	0.016
107/16	0.016
107/19	0.020
107/22	0.016
107/25	0.016
107/28	0.016
107/31	0.016
107/35	0.020

(1)	(2)
149/2	0.061
266/1 व	–
148/1 ख	0.049
107/11	0.016
107/14	0.016
107/17	0.016
107/20	0.016
107/23	0.016
107/26	0.016
107/29	0.016
107/32	0.020
योग 36	2.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरम खदान के लिये भू-अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्रमांक 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5389	0.032
5369, 5370	0.072
5371, 5372	0.020
810/3	0.096
810/13	0.008
856/8	0.081
810/11	0.024
810/9, 810/10	0.049
810/7	0.024
810/2	0.069
808/9	0.008
809/1	0.085
808/1	0.085
808/10	0.085
808/11	0.016
5364/1, 2, 3	0.160
5374, 5375	0.016
योग	0.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भाटा पारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2004

क्रमांक/01/अ-82, 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-मुल्लेगुड़ा (हर्राटेमा) , प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153	0.07
154	0.01
योग 2	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आदमाबाद-घोठिया-डौण्डी के कि.मी. 12/10 पर निर्माणाधीन सूखा नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक 784/प्र. 1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सिंवार , प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.10
73	0.04
77	0.23
75	0.07
72	0.10
76	0.06
योग	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साजा-परपोडा-बेरला मार्ग पर शिवनाथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2004

क्रमांक 97/वा-1/भू-अर्जन/06/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-परसदाखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/17	0.024

(1)	(2)
112/28	0.073
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कोटरी नाला जलाशय योजना के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर दिनांक 5 जनवरी 2004

क्रमांक 96/वा-1/भू-अर्जन/11/अ/82-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-राजिम
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287	0.13
309	0.13
योग	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सरगोड़ खैरझटी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पंचायत पत्थलगांव जिला-जशपुर.	पार्षद	14	चौदह	श्री वेदप्रकाश

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पंचायत बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया.	पार्षद	06	छै:	श्री देवी प्रसाद उर्फ देबू दादा

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पंचायत नया बाराद्वार जिला-जांजगीर-चांपा.	पार्षद	01	एक	श्रीमती भगवती बघेल (निर्विरोध)
2.	नगर पंचायत नया बाराद्वार जिला-जांजगीर-चांपा.	पार्षद	03	तीन	श्री अनिल कुमार
3.	नगर पंचायत नया बाराद्वार जिला-जांजगीर-चांपा.	पार्षद	06	छै:	श्री सुशील कुमार

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पंचायत खरसिया जिला-रायगढ़.	पार्षद	02	दो	श्री दीपक अग्रवाल

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगर पंचायत बिल्हा जिला-बिलासपुर.	पार्षद	06	छै:	श्री दादू राम

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका/नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगरपालिक परिषद् धमतरी जिला-धमतरी.	पार्षद	22	बाईस	श्री हजरत अली

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका/नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगरपालिक परिषद् महासमुंद जिला-महासमुंद.	पार्षद	07	सात	श्री बी. विशाल
2.	नगर पंचायत सराईपाली जिला-महासमुंद.	पार्षद	13	तेरह	श्री विनोद सिंह
3.	नगर पंचायत सराईपाली जिला-महासमुंद.	पार्षद	14	चौदह	श्रीमती विशाखा चौधरी

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगरपालिक परिषद डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव.	पार्षद	12	बारह	श्री दिनेश नागदोने

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अधीन अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका/नगर पंचायत के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका/नगर पंचायत का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगरपालिक परिषद बालोद जिला-दुर्ग.	पार्षद	07	सात	श्री बसंत कुमार निषाद
2.	नगरपालिक परिषद बेमेतरा जिला-दुर्ग.	पार्षद	12	बारह	श्री कादिर जानी
3.	नगर पंचायत धमधा, जिला-दुर्ग.	पार्षद	11	ग्यारह	श्री नयनदास
4.	नगर पंचायत अहिवारा जिला-दुर्ग.	पार्षद	04	चार	श्री अमर चन्द्र मनकुहरा
5.	नगर पंचायत पाटन जिला-दुर्ग.	पार्षद	15	पन्द्रह	श्री राजकुमार तिवारी

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक 136/एफ-1/न. पा./निर्वाचन/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम के माह जनवरी, 2004 में कराये गये उप निर्वाचन में निम्नांकित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुये हैं :—

क्रमांक	नगर निगम का नाम जिले का नाम	पद का नाम	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नगरपालिक निगम भिलाई जिला-दुर्ग.	पार्षद	06	छैः	कु. तारा सिंह
2.	नगरपालिक निगम भिलाई जिला- दुर्ग.	पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमती शोभा भगत

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, उप-सचिव.